

डिग्री बमुकदमें ईब्लादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-361 / 2019

शीतल पत्नी रामसिह जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। वादीया

बनाम्

रामसिह पुत्र गंगाबिशन जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री करनैल सिंह प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी रामसिह के नाम से दर्ज आराजी वाके प्रतिवादी रामसिह के नाम से दर्ज आराजी वाके चकनं 2 एमकेएस बी के खाता सं 2075 ता 78 के खाता सं 85/73 में कुल 9.500 है 0 मे से 2/5 हिस्सा मे से 1/5 हिस्सा तथा चकनं 1 एफटीपी बी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं 124/100 में कुल 16.382 है 0 आराजी में से 1/2 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चकनं 2 एमकेएस बी के खाता सं 2075 ता 78 के खाता सं 85/73 व चकनं 1 एफटीपी बी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं 124/100 में मुझ प्रतिवादी रामसिह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...17/10/19.....को जारी किया गया।



मीनू वर्मा
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी